भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 543
04 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में सागर मित्र कार्यक्रम

543- श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में, विशेषकर काकिनाडा, नेल्लूर और विशाखपट्टणम जैसे तटीय जिलों में सागर मित्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के निष्कर्ष क्या रहे हैं तथा मछुआरों के बीच पोटेन्शियल फिशिंग ज़ोन (पीएफ़जेड) परामर्शिकाओं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लाभों के संबंध में पहुंच एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य में वर्तमान में तैनात सागर मित्रों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या अंतर्देशीय मत्स्य पालन तक इस योजना का विस्तार करने अथवा नभमित्र ऐप के उन्नयन के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार ने काकीनाडा, नेल्लोर और विशाखपट्टणम जिलों सहित राज्य में 350 सागर मित्रों की नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र/ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (INCOIS) आंध्र प्रदेश सहित तटीय राज्यों को पोटेंशियल फिशिंग ज़ोन (PFZ) संबंधी परामर्श प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि INCOIS से प्राप्त PFZ (पोटेंशियल फिशिंग जोन) परामर्श को PMMSY के तहत कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और सागर मित्रों के माध्यम से समुद्री मछुआरों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाता है। इसके अतिरिक्त, मछुआरे और नाव मालिक NABHMITRA मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मछली के झुंडों(फिश शोल) की रीयल-टाइम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सागर मित्रों द्वारा PFZ की जानकारी वॉयस मैसेज/IVRS के माध्यम से मछुआरों तक प्रसारित की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सागर मित्रों के प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई जिलेवार पोटेंशियल फिशिंग जोन जानकारी प्राप्त करने वाले मछुआरों की संख्या अनुबंध I में दी गई है ।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, विभिन्न स्तरों पर नियमित आधार पर सागर मित्र सहित PMMSY के तहत अनुमोदित गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला-वार स्वीकृत और नियोजित सागर मित्र की सूची अनुबंध- II में प्रस्तुत की गई है।

(घ): आंध्र प्रदेश सरकार से PMMSY के तहत राज्य में योजना को अंतर्देशीय मात्स्यिकी तक विस्तार करने या NABHMITRA ऐप को अपग्रेड करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुबंध I

'आंध्र प्रदेश में सागर मित्र कार्यक्रम' के संबंध में 4 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री मेदा रघुनाथा रेड्डी द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 543 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्रम सं	जिला	PFZ जानकारी प्राप्त करने वाले मछुआरों की संख्या
(i)	(ii)	(iii)
1	श्रीकाकुलम	14539
2	विजयनगरम	3822
3	विशाखपट्टणम	9809
4	अनकापल्ली	6898
5	कोनासीमा	13933
6	काकीनाडा	26571
7	पश्चिम गोदावरी	474
8	कृष्णा	13422
9	बापतला	13957
10	प्रकाशम	7354
11	SPSR नेल्लोर	9260
12	तिरुपति	3726
कुल		**123765**

*****

अनुबंध II

'आंध्र प्रदेश में सागर मित्र कार्यक्रम' के संबंध में 4 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री मेदा रघुनाथा रेड्डी द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 543 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्रम सं	जिला	स्वीकृत	तैनात
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	श्रीकाकुलम	60	57
2	विजयनगरम	16	11
3	विशाखपट्टणम	21	19
4	अनकापल्ली	22	22
5	कोनासीमा	7	7
6	काकीनाडा	23	22
7	पश्चिम गोदावरी	7	7
8	कृष्णा	23	23
9	बापतला	47	43
10	प्रकाशम	29	25
11	SPSR नेल्लोर	70	65
12	तिरुपति	25	24
कुल		**350**	**325**

*****